

दिनांक – 09 अप्रैल, 2021

अधिसूचना

कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी के प्रभावी नियंत्रण हेतु संशोधित दिशानिर्देश जो केंद्रीय गृह सचिव एवं अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश पत्र संख्या-40-3/2020-डीएम-आई (ए), दिनांक-23.03.2021 द्वारा जारी किया गया है तथा इसी क्रम में जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी के कार्यालय आदेश पत्र संख्या-672/जे0ए0/111-2021, दिनांक-08.04.2021 का भी अवलोकन करें जो स्वतः स्पष्ट है एवं विश्वविद्यालय के समस्त सम्बन्धित को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु प्रेषित है। (प्रतिलिपि संलग्न है)

यदि विश्वविद्यालय के किसी भी विभाग/कार्यालय का कोई अध्यापक/अधिकारी/कर्मचारी कोरोना वायरस (कोविड-19) से ग्रसित हो जाता है, तो वे अपने सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को तत्काल सूचना दे। ताकि विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष सम्बन्धित विभाग को सैनेटाईज कर विभाग/कार्यालय को एक दिन के लिए बन्दकर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा इसकी सूचना सामान्य प्रशासन को भी प्रेषित करें।

जो कर्मचारी परिसर में रह रहे हैं और यदि वे कोरोना वायरस (कोविड-19) से ग्रसित हो जाते हैं, तो वे तत्काल सम्पदा कार्यालय को सूचित करें तथा आकस्मिक आवश्यकता के लिए बीएचयू कंट्रोल रूम के टेलीफोन नम्बर-2369242 या 2369131 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

किसी भी कर्मचारी को कोरोना वायरस (कोविड-19) का लक्षण आने पर एम0आर0यू0जी0बी0 में तत्काल जाँच करायेँ और रिपोर्ट आने तक स्वयं को आइसोलेशन में रखें। रिपोर्ट पाजीटिव आने पर प्रभारी मुख्य चिकित्साधिकारी (मोबाइल नम्बर-9565596429) एवं डॉ. नम्रता अग्रवाल (मोबाइल नम्बर-9335480585) विश्वविद्यालय कर्मचारी स्वास्थ्य सेवा संकुल को सूचित करें एवं उनके सलाह के अनुसार बीमारी का इलाज होम आइसोलेशन में रहते हुये कराएं तथा सुरक्षा उपायों का अनुपालन करें।

चिकित्सक द्वारा प्रेसक्राइब्ड (prescribed) की गयी दवायें कर्मचारी स्वास्थ्य केन्द्र पर उपलब्ध होंगी एवं कर्मचारी को प्रदान की जायेगी। मरीज की स्थिति के अनुसार जरूरत पड़ने पर प्रभारी मुख्य चिकित्साधिकारी, शताब्दी सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक, सर सुन्दरलाल चिकित्सालय के प्रभारी चिकित्साधिकारी/कोविड इंचार्ज से सम्पर्क कर इलाज कराने हेतु भर्ती करायेँगे।

कर्मचारी अपने स्वास्थ्य की जानकारी से प्रभारी चिकित्साधिकारी को समय-समय पर अवगत कराते रहेंगे एवं उनकी सलाह लेंगे।

विश्वविद्यालय परिसर में खेल सम्बन्धी गतिविधियां प्रातः 06 बजे से सांयकाल 07 बजे तक ही संचालित की जाए। प्रातः 06 बजे के बाद ही खेल मैदान खोले जायं और सांयकाल 07 बजे तक ही खेलने की अनुमति प्रदान की जाए। खेल मैदान में थर्मल स्कैनिंग एवं सैनेटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित की जायं।


संस्थानों/संकायों/विभागों द्वारा कान्फ्रेन्स इत्यादि गतिविधियां आनलाइन मोड में ही आयोजित होनी चाहिए, आफलाइन मोड संचालित नहीं की जायेंगी।

विभागीय/कार्यालयीय कार्यों हेतु ईआरपी सिस्टम का उपयोग किया जाय एवं मैनुअल डाक का आदान-प्रदान न किया जाय। डाक को ईआरपी के डाक अथवा **Communique** माध्यम से ही आदान-प्रदान या निस्तारण किया जाय।

केन्द्रीय कार्यालय एवं अन्य कार्यालयों में बाहरी व्यक्तियों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। अपने कार्यालयीय कार्य के लिए व्यक्ति उन कार्यालयों में रखे ड्राप बाक्स में अपने पत्र डाल सकते हैं अथवा ई-मेल/ईआरपी के माध्यम से भेज सकते हैं।

विश्वविद्यालय परिसर में बाहरी व्यक्तियों का अनावश्यक आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। विश्वविद्यालय के द्वार जिला प्रशासन द्वारा घोषित रात्रिकालीन कर्फ्यू के दौरान बंद रहेंगे।

विश्वविद्यालय परिसर में मास्क पहनना एवं सामाजिक दूरी का पालन अनिवार्य होगा। परिसर की दुकानों का बंद होने का समय 7 बजे सांय रहेगा। दुकानों पर ज्यादा संख्या में व्यक्तियों की उपस्थिति नहीं रहेगी तथा मास्क पहनना एवं सामाजिक दूरी बनाये रखना अनिवार्य होगा। दुकानदार सैनिटाइजर की व्यवस्था करेंगे।


सहायक कुलसचिव
(सामान्य प्रशासन)

पत्रांक-आर/जीएडी/विविध/45/1206


तद् दिनांक - 09.04.2021

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. समस्त संस्थानों के निदेशक/समस्त संकायों के संकाय प्रमुख/विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष/अनुभाग/ईकाई,
2. प्राचार्य, महिला महाविद्यालय
3. समस्त विद्यालयों/कालेज के प्राचार्य/प्राचार्या,
4. समस्त समन्वयक/प्रशासनिक संरक्षक/संरक्षक,



5. आचार्या प्रभारी, रा.गा.द.प. (बरकछा),
 6. मुख्य आरक्षाधिकारी,
 7. वित्ताधिकारी,
 8. छात्र अधिष्ठाता,
 9. अधीक्षण अभियन्ता, विश्वविद्यालय निर्माण विभाग,
 10. परीक्षा नियंता,
 11. समस्त स्कूलों/केन्द्रों के समन्वयक,
 12. चिकित्सा अधीक्षक, सर सुन्दरलाल हास्पिटल,
 13. आचार्य प्रभारी, ट्रॉमा सेन्टर, चिकित्सा विज्ञान संस्थान
 14. सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी,
 15. समस्त संयुक्त कुलसचिव/उप-कुलसचिव/सहायक कुलसचिव/हिंदी अधिकारी/विधि अधिकारी,
 16. संयुक्त कुलसचिव एवं कुलपति के सचिव,
 17. प्रशिक्षण एवं स्थानन अधिकारी
-
18. छात्र सलाहकार,
 19. सहायक कुलसचिव, कुलसचिव कार्यालय
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय।


09/4/21
सहायक कुलसचिव (सामान्य प्रशासन)